मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 23, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

पंडित रविशंकर, विश्व प्रसिद्ध सितार वादक के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, चंबल संभाग में कृषकों को सिंचाई हेतु पर्याप्त बिजली न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अराजकता होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री सुनील जायसवाल, अजय सिंह, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम झिलपिनी ढाना में घटना के दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री रामलल्लू वैश्य, सदस्य, सिंगरोली जिले के अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री अजय सिंह, डॉ गोविन्द सिंह, श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल में दिन दहाड़े एक कर्मचारी की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री रामलाल मालवीय, तुलसीराम सिलावट, सदस्य, उज्जैन जिले के सेवरखेड़ी बांध की ऊंचाई बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री नारायण प्रजापति, नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, सागर नगरपालिका निगम सीमा अंतर्गत शासकीय भूमि का अवैध बैनामा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री पारस दादा, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री विश्वास सारंग, सदस्य, रतलाम स्थित उद्योगों द्वारा जहरीले कचरे का निष्पादन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य, धार जिले के धरमपुरी क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले के सेमरिया क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में अनियमितता होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) डॉ गोविन्द सिंह, सर्वश्री प्रदीप जायसवाल, के.पी.सिंह "कक्काजू" सदस्य, दतिया जिले के ग्राम बेरछा में एक परिवार के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.) सदस्य, नरसिंहपुर जिले में शिष्टाचार के नियमों का पालन न होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ के अंतर्गत हताई खेड़ा जलाशय की नहर क्षतिग्रस्त होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के सूरजपुरा डेम के निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य, संजय सरोवर परियोजना में कार्यरत मजदूरों को कम मजदूरी दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य, भोपाल नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित में ऋण वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री पुरूषोत्तम दांगी, रामनिवास रावत, सदस्य, महेश्वर बिजली परियोजना की एस.कुमार ग्रुप की कंपनी का ऋण माफ किये जाने की ओर वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री रामगरीब कोल, सदस्य, रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान की अनेक ग्राम पंचायतों में रोड निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य, ब्यावरा के ग्राम बिसोन्या में अधिकारियों की लापरवाही से नल जल योजना प्रारंभ न किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

(20) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, सतना जिला चिकित्सालय में मरीजों को उपचार की सुविधा न मिलने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर द्वारा अधिक बिद्युत बिल उपभोक्ताओं को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य, डिण्डोरी जिला मुख्यालय में छात्रावास का निर्माण न होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्य, होशंगाबाद जिले के सोहागपुर क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम कीजरी से मोटर पंपों की चोरी होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य, मुरैना जिले में पेयजल योजनाएं बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) सर्वश्री यादवेन्द्र सिंह, पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य, भोपाल के एस.बी. गृह निर्माण समिति द्वारा अपात्र लोगों को भू खंड आवंटित किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम रावतपुरा स्थित आदिवासियों की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री रामलखन सिंह, सदस्य, सतना जिले के ग्राम खटखरी में मारपीट से एक व्यक्ति की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) सर्वश्री लक्ष्मण तिवारी, केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, रीवा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपात्र मदरसों को अनुदान देकर भ्रष्टाचार किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) सर्वश्री सुदर्शन गुप्ता, पारस दादा, सदस्य, इंदौर के खान नदी में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री चंपालाल देवड़ा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम गुराड़दा से एक छात्रा का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य, बैतूल जिले के –
- (क) ग्राम सावरी के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,तथा
- (ख) ग्राम सेमरिया से घाटबिरोली तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(2) श्री अलकेश आर्य, सदस्य, बैतूल जिले के –
- (क) ग्राम बरखेड़ की खुडडादेव नदी पर बांध बनाये जाने, तथा
- (ख) ग्राम आठनेर के कन्या हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,
- (ग) भोपाल जिले की तहसील हुजूर के अन्तर्गत नीलबड़ के खसरों में सुधार कराये जाने,

(3) श्री गिरिराज किशोर (राजू) पोद्दार, सदस्य, कटनी जिले के -
- (क) प्रियदर्शनी बस स्टैण्ड को आई.एस. बी.टी. का दर्जा दिलाये जाने,तथा,
- (ख) ग्राम पंचायत बांधा के बूढ़ा ग्राम ललितपुर से सत्तीघाटी तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(4) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के-
- (क) ग्राम कर्रापुर में नल जल योजना स्वीकृत किये जाने तथा
- (ख) ग्राम टीलाखेड़ी की छतिग्रस्त स्टाप डेम की मरम्मत कराये जाने,

(5) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य, कटनी जिले के-
- (क) ग्राम उदयपुरा से पिपरिया मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (ख) ग्राम बांधी में यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराये जाने,
- (ग) ग्राम बांधी में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने, तथा
- (घ) ग्राम पढ़रेही में हैण्ड पंप खनन कराये जाने,

(6) श्री सुनील जायसवाल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -
- (क) शंकराचार्य वार्ड की सड़क निर्माणकराये जाने, तथा
- (ख) ग्राम देवाकछार के लाला वारे टोला में हैण्ड पंप खनन कराये जाने,

(7) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम गोगटपुर के हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

के संबंध में याचिकाऐं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री, द्वारा किये गये प्रस्ताव कि ''सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (क्रमांक 35 सन् 2012)) पर विचार किया जाय.''. **पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

1 घण्टा (2) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 36 सन् 2012)) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

1 घण्टा (3) श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 37 सन् 2012)) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि. (4) श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 38 सन् 2012)) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

निर्धारित समय

7. अशासकीय संकल्प

(1) श्री संजय पाठक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

15 मि. ''यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ट्रेन संख्या 11452 इन्टर सिटी एक्सप्रेस जो जबलपुर से रीवा तथा रीवा से जबलपुर चलती है को झुकेही रेल्वे स्टेशन में रोका जाय''.

(2) श्री के.पी. सिंह ''कक्काजू'', सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

40 मि. ''सदन का यह मत है कि प्रदेश के समस्त अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों के व्यस्क सदस्य जो पृथक परिवार के रूप में रहते है ऐसे नवीन परिवारों के पृथक राशन कार्ड बनाए जावें एवं शासन द्वारा दो रुपये किलों गेहूं एवं तीन रुपये किलों चावल दिये जाने संबंधी योजना का लाभ दिया जाय''.

(3) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

15 मि. ''यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि सोनकच्छ आष्टा व्हाया सीहोर रेल लाईन हेतु सर्वे किया जाय''.

(4) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

40 मि. ''सदन का यह मत है कि नर्मदा किनारे गावों एवं शहरों को पोलिथिन तथा प्रदूषण के साथ ही पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने के लिये शासकीय योजना के तहत वृक्षारोपण को अनिवार्य रूप से लागू किया जाय और अवैध उत्खनन को सख्ती से रोका जाये''.

(5) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

40 मि. ''यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश में निवासरत कुम्हार (प्रजापति प्रजापत, कुंभकार, चक्रवर्ती, पूर्विया, वर्दिया, मालवीय, हतेलिया, कुमावत, मेवाड़ा, मारवाड़ा गोले, लश्करी) को प्रदेश के 10 जिलों में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है, इसे बढ़ाकर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाये''.

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

9. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

''विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए.''.

10. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार एवं स्वीकृति

श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

''यह सदन आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार कर उसे स्वीकार करे.''.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 13 दिसम्बर, 2012